रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (DN.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II —Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 1984/जे ठ 3, 1906
No. 172] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 1984/JYAISTHA 3, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 1984

सं. 122/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 395(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56-क के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 223/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 दिसम्बर, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन

करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद 59 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"60. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की मद सं. 33-घ के अन्तर्गत आने वाला माल ।"

[फा. सं. 155/2/83-सी. एक्स.]

एच. वी. चव्हाण, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, 24th May, 1984

No. 122/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 395(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 56-A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 223/62-Central Excises, dated the 29th December, 1962, namely :—

In the said notification, after item 59 and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely :—

"60. Goods falling under Item No. 33 D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)."

[F. No. 155/2/83-CX. 4]

H. V. CHAUHAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984